न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 09/2019 (अपील नामा)
RCMS No. 2019/00037

अनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री लक्ष्मीलाल पिता छबीलाल जैन, निवासी ऋषभदेव, तह. ऋषभदेव, उदयपुर
2. श्री आदेश्वरलाल पिता धनराज जैन, निवासी ऋषभदेव, तह. ऋषभदेव, उदयपुर
3. श्री कांतिलाल दोवडिया पिता धनराज जैन, निवासी ऋषभदेव, तह. ऋषभदेव, उदयपुर
4. श्री महावीर दोवडिया पिता धनराज जैन, निवासी ऋषभदेव, तह. ऋषभदेव, उदयपुर
5. श्रीमती सूरजबाई दोवडिया पत्नि धनराज जैन, निवासी ऋषभदेव, तह. ऋषभदेव, उदयपुर

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर
नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 29.05.2018

* निर्णय *

दिनांक– 18-03-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि रजिस्टर्ड हकत्याग नामा दिनांक 28.05.2003 पंजीयन दिनांक 28.06.2003 को हकत्यागकर्ता भंवरलाल, विपक्षी संख्या 2 से 5 क्रमशः आदेश्वरलाल, कांतिलाल, महावीर पिता धनराज एवं श्रीमती सूरजबाई पत्नि धनराज, निवासी ऋषभदेव ने गांव माण्डवाफला कागदर, तहसील ऋषभदेव के खसरा संख्या 552, 553, 577 से 579, 622, 623 कुल किता 7 रकबा 1.2800 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्से का हकत्याग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री लक्ष्मीलाल दोवडियां पिता छबीलाल दोवडिया के पक्ष में निष्पादित किया है। उक्त रजिस्टर्ड हकत्याग के अनुसार हकत्याग ग्रहिता के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने के लिये प्रार्थना पत्र राजस्व अभियान राजस्व लोक अदालत केम्प, माण्डवा फला कागदर, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर में पेश होने पर पटवारी हल्का माण्डवा फला कागदर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 489 दर्ज कर वास्ते जांच एवं स्वीकृति के लिये पेश किया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच करने के बाद तहसील केम्प में उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का आदेश तत्कालीन तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा पारित कर दिया। उक्त नामान्तरकरण समस्त खातेदारों के हक का स्वीकृत हो गया है, जबकि हकत्यागनामा में केवल भंवरलाल के हस्ताक्षर से ही निष्पादित

किया गया है। अन्य सहखातेदारों विपक्षी संख्या 2 से 5 क्रमशः श्री आदेश्वरलाल, कांतिलाल, महावीर पिता धनराज एवं श्रीमती सूरजबाई पत्नि धनराज के नाम हकत्यागनामा में अंकित है, किन्तु अन्य सहखातेदारों के हस्ताक्षर हकत्यागनामा पर मौजूद नही है। इसके बावजूद भूल एवं जल्दबाजी में अन्य सहखातेदारों की हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित हो गया है। उक्त नामान्तरकरण सहवन से गलत स्वीकृत हो जाने से रेस्पोडेन्ट्स एवं अन्य सहखातेदारों के हित प्रभावित होने से ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 29.05.2018 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हो जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 489 का गलत खोला जाना स्वीकार किया एवं नामान्तरकरण संख्या 489 को निरस्त किये जाने हेतु लिखित सहमति व्यक्त की। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से प्रकरण में कोई जवाब प्राप्त न होने से जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या 5 बन्द किया जाकर मामले में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को राजकीय अधिवक्ता एवं अपीलान्ट, भू.अ.नि.कागदर उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित न रहने से मामले में राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुये अपने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मामले में नामान्तरकरण सहवन से गलत खोला जाना अवगत कराया एवं ऐसे त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने की मांग की।

हमने राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड दस्तावेज के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि श्री भंवरलाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 क्रमशः आदेश्वरलाल, कांतिलाल, महावीर पिता धनराज एवं श्रीमती सूरजबाई पत्नि धनराज की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री लक्ष्मीलाल पिता छबीलाल महाजन के पक्ष में हकत्याग किये जाने सम्बन्धित दस्तावेज अपीलान्ट तहसीलदार ऋषभदेव के समक्ष प्रस्तुत हुये, किन्तु उक्त दस्तावेज पर मात्र श्री भंवरलाल दोवडिया के हस्ताक्षर मौजूद है। दस्तावेजों पर मात्र भंवरलाल के हकत्यागकर्ता के रूप में हस्ताक्षर मौजूद होने से भंवरलाल के हिस्से का हकत्याग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया जाना चाहिये था व तदनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही ही जानी चाहिये थी, किन्तु अपीलान्ट तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा मात्र दस्तावेज में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 का नाम अंकित होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 489 खोले जाने का आदेश पारित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटियुक्त होना स्पष्ट जाहिर है। तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्य ध्यान में आने पर नामान्तरकरण संख्या 489 को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा भी उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने में सहमति व्यक्त की है। समग्र तथ्यों पर विवेचन उपरान्त उक्त नामान्तरकरण

प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा नामान्तरकरण को निरस्त करने में सहमति व्यक्त करने से न्यायहित में ऐसे नामान्तरकरण संख्या 489 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार ऋषभदेव को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 29.05.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार ऋषभदेव को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये प्रेक्षणो को दृष्टिगत रखते हुये नये सिरे से तथ्यों की जांच कर, उभय पक्ष की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, दस्तावेजों का विधिनुसार अवलोकन कर नवीन सिरे से नामान्तरकरण के सम्बन्ध में विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.03.20 10:32:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: